R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VII ◆ अंक 2
अगस्त 2010

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

व्यक्तिगत आवास ऋणों पर ब्याज अनुदान

माननीय वित्त मंत्री ने 2009-10 के बजट-प्रस्ताव में 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत आवास ऋण के लिए ब्याज पर शुरूआत में 1 अक्तूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 1 प्रतिशत की छूट देने की एक योजना की घोषणा की थी, बशर्ते आवासीय इकाई की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। वर्ष 2010-11 के लिए अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने इस योजना को 31 मार्च 2011 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की थी।

इस योजना का उद्देश्य ऋण हेतु अतिरिक्त माँग का सृजन और मध्यम एवं निम्न आय समूहों में पात्र उधारकर्ताओं के लिए आवास उपलब्ध कराने में सुधार के एक उपाय के रूप में आवास ऋण पर ब्याज में सहायता प्रदान करना है। योजना का विवरण निम्नानुसार है -

पात्रता - व्यक्तियों को नए गृह के निर्माण/खरीद अथवा मौजूदा गृह में परिवर्धन करने के लिए 10 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी बशर्ते नए गृह की निर्माण/परिवर्धन लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो।

अवधि - यह योजना 1 अक्तूबर 1009 से 31 मार्च 2011 तक लागू रहेगी।

ब्याज की आर्थिक सहायता - 1 प्रतिशत की आर्थिक सहायता को एक विशेष राशि और अवधि के लिए वर्तमान ब्याज दर से 100 आधार अंक प्रति वर्ष से ब्याज दर में कटौती के रूप में पारिभाषित किया जाएगा। यह योजना लागू होने के दौरान ऐसे सभी स्वीकृत और संवितरित ऋणों की पहली बारह किस्तों पर लागू होगी और संवितरित राशि पर इसकी गणना 12 महीनों के लिए की जाएगी। आर्थक सहायता की राशि निर्धारित अथवा अस्थिर दर आधार पर लिए गए ऋण को ध्यान में न रखते हुए सीधे मूल बकाया राशि से समायोजित की जाएगी।

प्रवर्तन एजेंसियाँ (आइए) - यह योजना राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पास पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीसीबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के माध्यम से लागू की जाएगी।

नोडल एजेंसियाँ - इस योजना के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए नोडल एजेंसियाँ क्रमश: रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक होंगी।

ऋण और आर्थिक सहायता की शर्तें

(i) प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की ब्याज पर आर्थिक सहायता पात्र आवास ऋणों की स्वीकृत और संवितरित राशि पर पहले वर्ष के लिए देय होगी। यदि ऋण की राशि हिस्सों में (किस्तों) संवितरित की जाती है तो ब्याज पर आर्थिक सहायता की गणना एक वर्ष के लिए की जाएगी और योजना की लागू अवधि के भीतर संवितरित ऋण के प्रत्येक किस्त के लिए अलग से दावा किया जाएगा।

(ii) ब्याज पर आर्थिक सहायता की गणना ऋण के संवितरण के समय लागू ब्याज के अनुसार की जाएगी।

(iii) 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंकों के दिशानिर्देश, यदि हैं, को ध्यान में रखते हुए लागू करनेवाली एजेंसियों द्वारा अनुमत ब्याज दर निर्धारित की जाएगी।

(iv) उधारकर्ता निर्धारित अथवा अस्थिर ब्याज दर का चयन कर सकते हैं।

(v) ऋण के संवितरण का तरीका उधारकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उधार देनेवाली प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
व्यक्तिगत आवास ऋणों पर ब्याज अनुदान	1
मोबाइल शाखाएं / एटीएम	2
रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें बढ़ाई गईं	2
रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें	2
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को उदार बनाया गया	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता	3
कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो	3
शारीरिक रूप से विकलांगों/दृष्टिहिनों के लिए ऋण सुविधाएं	3
सूचना	
निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर चर्चा पेपर	3
वर्ष 2010-11 की मौद्रिक नीति पर वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा	4

(vi) प्रवर्तन एजेंसियाँ उधारकर्ता की मूल ऋण राशि में से सीधे आर्थिक सहायता की कटौती करेंगी और सहमत ब्याज दर पर ऋण की निवल राशि पर ब्याज लागू करेंगी।

(vii) ब्याज में आर्थक सहायता के फलस्वरूप मूल राशि में हुई कमी के बारे में बैंक/आवास वित्त कंपनी के अधिकारियों को उधारकर्ता को जानकारी देनी चाहिए। प्रवर्तन एजेंसियों को चाहिए कि वे प्रत्येक उधारकर्ता को एक ऐसा विवरण उपलब्ध कराएँ जिसमें उधारकर्ता को यह समझाया जा सके कि आर्थिक सहायता के रूप में दी गई सहायता आर्थिक सहायता का समायोजन किस प्रकार से किया गया है और आर्थिक सहायता का प्रभाव उनके मासिक किस्तों पर कैसे पड़ेगा।

(viii) ऋण राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रवर्तन एजेंसियों की होगी।

(ix) प्रवर्तन एजेंसियाँ जोखिम मूल्यांकन सहित अपनी अनुमोदित नीतियों और क्रियाविधियों के अनुसार कार्य निष्पादन, प्रलेखीकरण आदि का पालन करेंगी।

दावे की स्वीकार्यता - पात्र ऋणों को मंजूरी देने और उसके संवितरण के बाद लागू प्रवर्तन एजेंसियाँ मासिक आधार पर निर्धारित फॉर्मेट में अपने दावे प्रस्तुत करते हुए नोडल एजेंसी से आर्थिक सहायता के संविरण के लिए दावा करेंगी। संवितरित ऋण राशि पर छूट की राशि मासिक/त्रैमासिक आधार पर संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों को मंजूर की जाएगी।

भारत सरकार से निधियाँ जारी करना : भारत सरकार त्रैमासिक आधार पर नोडल एजेंसियों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता की मंजूरी के लिए माँग के आधार पर नोडल एजेंसियों को आर्थिक सहायता की राशि जारी करेगी।

उपयोग प्रमाणपत्र - प्रवर्तन एजेंसियों को निधियों का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना होगा और उनके द्वारा जारी की गई ब्याज की आथ्रिक सहायता की राशि के लिए उनके संबंधित नोडल एजेंसी से उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

खातों का निरीक्षण - प्रवर्तन एजेंसियाँ निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए अपनी लेखा बहियों में योजना के अंतर्गत शामिल सभी ऋणों को दर्शाएँगी।

निगरानी/मूल्यांकन - सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक और आवास ऋण कंपनियाँ खातों की संख्या, संवितरित ऋण की राशि, दी गई छूट आदि के बारे में क्रमश: रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को एक मासिक समेकित विवरणी प्रस्तुत करेंगी।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने की उचित व्यवस्था करें कि पात्र उधारकर्ता ब्याज में छूट का लाभ केवल एक आवास इकाई के लिए ही प्राप्त करें।

मोबाइल शाखाएं / एटीएम

शाखा प्राधिकरण नीति को और उदार बनाए जाने के लिए रिज़र्व बैंक ने देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सामन्य अनुमति दी है कि वे टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों (2001 जन गणना के अनुसार 49,999 तक की आबादी वाले) में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में मोबाइल शाखाएं खोल सकते हैं।

मोबाइल शाखा योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि :

- एक सुरक्षित वैन में बैंक के दो- तीन पदाधिकारी बहियों, नकदी तिजोरी आदि के साथ बैठेंगे और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- मोबाइल इकाई विनिर्दिष्ट दिनों/घंटों में प्रस्तावित स्थलों पर जाएगी।
- मोबाइल शाखा को उन गांवों/केंद्रों में नहीं जाना चाहिए जहाँ सहकारी बैंक हैं और उन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ वाणिज्य बैंकों की नियमित शाखाएँ हैं।
- मोबाइल शाखा को प्रत्येक गांव/स्थान में विनिर्दिष्ट दिनों और विनिर्दिष्ट घंटों में समुचित समय तक रहना चाहिए ताकि ग्राहक उसकी सेवा का सही-सही लाभ उठा सकें। मोबाइल शाखा में किये गये लेनदेन आधार शाखा/डेटा केंद्र की बहियों में रिकार्ड किये जाएँगे।
- बैंक संबंधित गाँव में मोबाइल शाखा सुविधा का व्यापक प्रचार कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न स्थलों में "विनिर्दिष्ट दिन और कामकाज के घंटों" के भी ब्यौरे होने चाहिए ताकि स्थानीय ग्राहकों को कोई भ्रम न रहे। इसमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रचारित किया जाना चाहिए।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आम अनुमति दी गई है कि वे रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना उनके द्वारा चुने गये केंद्रों /स्थानों में मोबाइल एटीएम का परिचालन आरंभ कर सकते हैं। मोबाइल शाखाओं और मोबाइल एटीएम के ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध में दिये गये प्रोफार्मा में सूचित किये जाने चाहिए।

रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें बढ़ाई गईं

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें 27 जुलाई 2010 की द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा से निम्नप्रकार बढ़ा दी गई हैं।

रिपो दर : रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत किया गया।

प्रत्यावर्तनीय रिपो दर : प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत किया गया।

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

रुपया निर्यात ऋण पर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज अनुदान योजना की व्यापकता को कतिपय अतिरिक्त क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अब आनेवाले ये क्षेत्र (पूर्व में तथा कई अतिरिक्त) हैं : (i) हस्तशिल्प; (ii) दरियाँ; (iii) हस्तकरघे; (iv) लघु और मध्यम उद्यम; (v) चमड़ा और चमड़ा उत्पादक; (vi) फ्लोर कवरिंग सहित जूट उत्पादन; (vii) अभियंत्रण वस्तुएं और (viii) वस्त्रोद्योग।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि यदि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में धारित निवेशों के बही मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक हो जाता है तो उन्हें परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में धारित निवेशों के बाजार मूल्य का प्रकटन करना चाहिए तथा बाजार मूल्य से बही मूल्य के उस अधिक्य का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण बैंक के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में किया जाना चाहिए।

यह पाया गया है कि अनेक बैंक एचटीएम संवर्ग की प्रतिभूतियों की बार-बार बिक्री कर रहे हैं ताकि वे अनुकूल बाजार परिस्थितियों से फायदा

उठाकर लाभ कमाएँ। पुनः यह सूचित किया जाता है कि एचटीएम संवर्ग की प्रतिभूतियों का उद्देश्य उन्हें परिपक्वता तक रखना है और तदनुसार उन्हें बाजार मूल्य पर मूल्यांकित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को उदार बनाया गया

अंतरण वित्तपोषण

मूलभूत सुविधा क्षेत्र की विशेष निधीयन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नई परियोजनाओं के विकास के लिए बंदरगाहों और हवाई अड्डों, पुलों सहित सड़कों तथा विद्युत क्षेत्रों में पात्र उधारकर्ताओं द्वारा घरेलू बैंकों से प्राप्त रुपया ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से अंतरण वित्तपोषण वित्तीय व्यवस्था की अनुमति दी जाए। अंतरण वित्तपोषण व्यवस्था की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि -

(i) मूलभूत सुविधा परियोजना विकसित करनेवाले कंपनी को निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) के तीन वर्ष के भीतर ऋण के सशर्त अथवा बिना शर्त अंतरण वित्तपोषण के लिए घरेलू बैंकों तथा समुद्रपारीय मान्यताप्राप्त उधारदाताओं के साथ एक त्रि-पक्षीय करार होना चाहिए। अंतरण वित्तपोषण की निर्धारित तारीख की शुरुआत करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहे।

(ii) इस ऋण पर न्यूनतम 7 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि होनी चाहिए।

(iii) मूलभूत सुविधा परियोजना को वित्तीय सहायता देनेवाले घरेलू बैंक अंतरण वित्तपोषण से संबंधित विद्यमान विवेकपूर्ण मानदण्डों का पालन करें।

(iv) समुद्रपारीय उधारदाता को अंतरण वित्तपोषण नहीं किए जाने तक देय शुल्क, यदि हो, प्रति वर्ष 100 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) अंतरण वित्तपोषण पर समुद्रपारीय उधारदाता द्वारा अंतरण के लिए सहमत अवशिष्ट ऋण को बाह्य वाणिज्यिक उधार माना जाएगा और इस ऋण को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पदनामित किया जाएगा तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित सभी मानदण्डों का पालन किया जाएगा।

(vi) घरेलू बैंक/वित्तीय संस्थाओं को अंतरण वित्तपोषण की गारंटी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) घरेलू बैंक को अंतरण करार के निष्पादन के बाद अपने तुलनपत्र में कोई देयता निर्दिष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(viii) बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत यथानिर्धारित रिपोर्टिंग व्यवस्था का पालन किया जाएगा।

पात्र उधारकर्ता अंतरण वित्तपोषण करार करने के पहले आवश्यक अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करेंगे।

सेवा क्षेत्र के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार

रिज़र्व बैंक अब होटल, अस्पताल, और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों की कंपनियों से स्वीकार्य अंतिम उपयोगों के लिए विदेशी मुद्रा और/ अथवा रुपया पूंजी व्यय हेतु स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार करेगा। तथापि, बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं किया जाएगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ग्राहकों के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पदनामित करेंसी फ्यूचरर्स एक्स्चेंजों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। उन्हें ऐसी अनुमति केवल अपने अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिमों को सुरक्षित (हेज) करने के लिए दी गई है। तथापि, इस संबंध में किए गए लेनदेनों के बारे में तुलनपत्र में उन्हें उचित प्रकटीकरण करना होगा।

कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन में सहभागिता करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ को कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए हैं। वे इस प्रकार हैं:

पात्र सहभागी :जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ या उससे अधिक हैं।

पूंजी पर्याप्तता : ऐसे लेनदेनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखी परिसंपत्तियों के बारे में ऋण जोखिम हेतु जोखिम भार के साथ-साथ काउंटर पार्टी के लिए जोखिम भार वह होगा जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशियाँ न स्वीकारने या धारण न करने वाली) विवेकपूर्ण मानदण्ड निदेश, 2007, समय-समय पर यथासंशोधित, में जारीकर्ता/काउंटर पार्टी के लिए लागू है।

खातों में शेष -राशि का वर्गीकरण : रेपो, रिवर्स रेपो खाते, आदि जैसे विभिन्न खातों में शेष-राशि का वर्गीकरण, बैंकों की भांति, संबंधित अनुसूचियों में किया जाएगा।

शारीरिक रूप से विकलांगों/दृष्टिहिनों के लिए ऋण सुविधाएं

रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया है कि वे असर्थतता के आधार पर शारिरिक रूप से विकलाग/दृष्टिहीन आवेदनकर्ताओं को ऋण सुविधाओं सहित उत्पाद और सुविधाएं प्रदान करने में भेदभाव नहीं करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी शाखाएं विभिन्न कारोबारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को सभी संभावित सहायता प्रदान करें।

सूचना

निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर चर्चा पेपर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 'निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश' पर चर्चा पेपर जारी किया है। यह पेपर बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक गृहों, अन्य संस्थाओं तथा खासकर जनता से सुझाव/अभिमत प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

चर्चा पेपर में दिए गए निम्नलिखित पहलुओं पर सुझाव और अभिमत आमंत्रित हैं :

- नए बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और प्रमोटरों का अंशदान
- प्रमोटर की शेयरधारिता और अन्य शेयरधारकों पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा
- नए बैंकों में विदेशी शेयरधारिता
- क्या औद्योगिक और व्यावसायिक गृहों को बैंकों को प्रमोट करने की अनुमति दी जाए
- क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों में परिवर्तित होने अथवा किसी बैंक को प्रमोट करने की अनुमति दी जानी चाहिए
- नए बैंकों के लिए व्यवसाय प्रतिदर्श (मॉडल)

सुझाव तथा अभिमत तारीख 30 सितंबर 2010 तक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, पाँचवीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र-I, कफ परेड़, मुंबई-400005 को भेजे जा सकते हैं अथवा इ-मेल किए जा सकते हैं।

इस पेपर में चर्चा किए गए संभाव्य पहलूओं पर प्रतिसूचना, अभिमत और सुझाव प्राप्त करने तथा शेयरधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे और नए बैंकों के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

वर्ष 2010-11 की मौद्रिक नीति पर वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जुलाई 2010 को प्रमुख बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा जारी की। इसकी मुख्य-मुख्य बातें हैं:

अनुमान

- वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि उर्ध्वमुखी आधार पर संशोधित करते हुए 8.5 प्रतिशत अनुमानित है।
- मार्च 2011 के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति हेतु आधारगत अनुमान 6.0 प्रतिशत रखा गया है।
- वर्ष 2010-11 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) की वृद्धि 17 प्रतिशत रखी गई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि 20 प्रतिशत रखी गई है।

रूझान

समग्र आकलन के आधार पर वर्ष 2010-11 में मौद्रिक नीति का रूझान व्यापक रूप से इस प्रकार होगा:

- मुद्रास्फीतिकारी दबावों के और बढ़ने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार होते समय मुद्रास्फीति को रोकना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को व्यवस्थित करना होगा।
- मूल्य उत्पादन और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखनी होगी।
- व्यापक रूप से संतुलित रहने को सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि का सक्रियता से प्रबंध करना होगा ताकि चलनिधि आधिक्य नीति दर कार्रवाइयों की प्रभावक्षमता को निष्क्रीय न करे।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत रखी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत किया गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 6.0 प्रतिशत रखा गया।

अपेक्षित परिणाम

मौद्रिक नीति कार्रवाईयों से अपेक्षित है कि वे:

i) माँग के दबावों और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम करेंगी।

ii) विकास को बरकरार रखने में सहायक वित्तीय स्थितियों को बरकरार रखेंगी।

iii) नीति के और अधिक प्रभावी प्रसार के अनुकूल चलनिधि परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगी।

iv) अल्पावधि दरों की अस्थिरता को और भी अधिक कम करेंगी।

मौद्रिक नीति की तिमाही के मध्य में समीक्षा

रिज़र्व बैंक अब से तिमाही के मध्य में समीक्षाएं प्रत्येक तिमाही समीक्षा के बाद लगभग डेढ़ महीने के अंतराल में आयोजित करेगा। समय-सारणी के अनुसार तिमाही के मध्य में समीक्षाएँ जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में आयोजित की जाएँगी। ये समीक्षाएं प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जारी की जाएँगी और आर्थिक परिस्थितियों के हमारे आकलन के बारे में बारंबार जानकारी दी जाएँगी तथा हमारी नीति कार्रवाईयाँ अथवा स्थिति को बनाए रखने की उपयुक्तता के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। तथापि, रिज़र्व बैंक के पास उभरती समष्टि आर्थिक गतिविधियों के कारण जब भी जरुरत हो तत्काल और सुधारात्मक नीति कार्रवाई करने के लिए हमेशा की तरह लचीलापन बना रहेगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।